राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1226/2022

रूप सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उभोक्ता मामलें विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उभोक्ता विभाग, निवारण आयोग, हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
3. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री मुलचन्द कनिष्ठ सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उभोक्ता विभाग, निवारण आयोग, हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
4. श्री मामराज मीणा कनिष्ठ सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उभोक्ता विभाग, निवारण आयोग, हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.04.2022
आदेश की दिनांक : 19.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हर्षवर्धन नन्दवाणा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री रूद्र कुमार साहरन, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.02.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दी गई है। अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु वर्षवार रिक्तियों का निर्धारण किए बिना वरिष्ठता सूची जारी की गई है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.12.2021 (अनुलग्नक–2) द्वारा राज्य स्तरीय अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 85 पर अंकित किया गया। विद्वान् अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक वर्ष रिक्तियों की वास्तविक संख्या निर्धारित की जानी आवश्यक है। नियम 12(2) के अनुसार यदि रिक्तियों को पहले नहीं भरा एवं निर्धारित किया जाता है, तो उन्हें वर्षवार रिक्तियों का निर्धारण करते समय निर्धारित एवं भरना आवश्यक होगा। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा

नियम, 1999 के नियम 12 निम्नानुसार हैः— **(1)(a) Subject to the provisions of these Rules, the Appointing Authority shall determine on 1st April every year, the actual number of vacancies occurring during the financial year.**

(b) Where a post is to be filled in by a single method as prescribed in the rules or schedule, the vacancy so determined shall be filled in by that method.

(c) Where a post is to be filled in by more than one method as prescribed in the rules or schedule, the apportionment of vacancies, determined under clause (a) above to each such method shall be done maintaining the prescribed proportion for the over-all number of posts already filled in. If any fraction of vacancies is left over, after apportionment of the vacancies in the manner prescribed above, the same shall be apportioned to the quota of various methods prescribed in a continuous cyclic order giving precedence to the promotion quota.

(2) The Appointing Authority shall also determine the vacancies of earlier years year-wise which were required to be filled in by promotion. If such vacancies were not determined and filled earlier in the year in which they were required to be filled in."

अपीलार्थी की तरफ से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 7472/2013 छाया भटनागर बनाम यूनीयन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में इस बिन्दु के संबंध में पारित निर्णय निम्न उद्धत हैः—

"Service Law-Seniority and promotion-Cause of perpetual rivarly in service jurisprudence-Clubbing of vacancies-Legality-Crucial date to consider eligibility of officer is record of his preceding five years service-Selection Committee not meeting for good 16 years-No fault attributable to officers-Concerned officer placed in approved list against year of earlier vacancies of 1996-97 to 2006 but retiring-There being no provision for clubbing or carrying of vacancies, members of service having retired held entitled to all notional benefits-Proposition that all 28 vacancies unfilled since 1996-97 till 2011 may be considered vacancies of 2012 not acceptable since clubbing of vacancies is not permissible-Proposition that such vacancies be carried forward for next year held equally unacceptable-Vacancies occurring on account of retirement concerned officers will alone be treated substantive vacancies- No substance in writ petition."

अपीलार्थी ने पत्र दिनांक 28.09.2010 (अनुलग्नक—4) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग से ऑपन हायर सैकण्डरी परीक्षा 2011 में भाग लेने के लिए अनुमति मांगी गई।

अपीलार्थी द्वारा विभागीय अनुमति लेकर दिनांक 14.06.2011 (अनुलग्नक–5) द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और विभागीय अनुमति से ही वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से आरएस–सीआईटी का डिप्लोमा भी दिनांक 10.11.2014 (अनुलग्नक–8) में प्राप्त कर लिया था। तत्पश्चात पत्र दिनांक 05.01.2015 (अनुलग्नक–9) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को एक पत्र प्रस्तुत कर अपनी योग्यता सेवाभिलेख में जोड़े जाने का अनुरोध किया। इस आधार पर अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति की पात्रता नवम्बर, 2014 से रखता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.02.2022 (अनुलग्नक–1) को निरस्त किया जाकर वर्षवार निर्धारित किया जाकर वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति कार्यवाही करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे।

विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब में निवेदन किया है कि पदोन्नति कर्मचारी का अधिकार नहीं है। लिहाजा अपीलार्थी पदोन्नति को अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2022 (अनुलग्नक–1) नियमों की पूर्ण पालना करते हुए जारी किया गया है। साथ ही निवेदन किया है कि विभाग में 88 रिक्तिया न होकर 80 रिक्तिया थी इसलिए नियमों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु उक्त स्वीकृत पदों में से 15 प्रतिशत पद भरे जाते हैं। इस आधार पर नियमानुसार कनिष्ठ सहायक के 12 पद पदोन्नति हेतु उपलब्ध है, जिनमें से 11 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति किया जा चुका है और अपीलार्थी वरिष्ठता में कनिष्ठ होने के कारण उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.02.2022 (अनुलग्नक–1), जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई है, को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया में वर्षवार उपलब्ध रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया गया। सभी वर्षों की रिक्तियों को एक साथ रखकर पदोन्नति की कार्यवाही की गई है, जो नियमानुसार गलत है। इससे अपीलार्थी के हितों का हनन होता है। अपीलार्थी द्वारा विभागीय अनुमति लेकर के वर्ष 2011 में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और विभागीय अनुमति से ही वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से आरएससीआईटी का डिप्लोमा भी दिनांक 10.11.2014 में प्राप्त कर लिया था। इस आधार पर अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति की पात्रता नवम्बर, 2014 से रखता है। अतः अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर वर्षवार निर्धारित किया जाकर पदोन्नति कार्यवाही करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे। प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पदोन्नति कर्मचारी का अधिकार नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2022 (अनुलग्नक–1) निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए जारी किया गया है। साथ ही निवेदन किया है कि नियमों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु उक्त स्वीकृत पदों में से 15 प्रतिशत पद भरे जाते हैं। इस आधार पर नियमानुसार कनिष्ठ सहायक के 12 पद पदोन्नति हेतु उपलब्ध है और अपीलार्थी वरिष्ठता में कनिष्ठ होने के कारण उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया।

उपलब्ध रिकार्ड और उभय पक्षों के आलोक में हमारा विनम्र मत है कि सेवा नियमों के प्रावधानानुसार पदोन्नति हेतु वर्षवार रिक्तियों को निर्धारित किए जाना आवश्यक है। कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नति हेतु जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 06 में रिक्तियों के संबंध में व्यवस्था दी गई है, जो निम्नानुसार हैः– **''6.1 रिक्तियों का अवधारणा विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के प्रथम दिवस अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रेल की वास्तविक रिक्तियों को मिलाते हुये किया जाना है जिसमें पूरे वित्तीय वर्ष की वास्तविक एवं सम्भावित उपलब्ध होने वाली रिक्तियां सम्मिलित हों।**

6.2 रिक्तियों का अवधारणा हालांकि एक अप्रेल की स्थिति में करना है किन्तु इसे एक अप्रेल अथवा विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष में किसी भी समय कर सकते हैं। प्रशासनिक कारणों से इसे आगामी वर्षों के लिये टाला भी जा सकता है।

6.3 पूरे विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष की रिक्तियों का अवधारणा वर्ष में केवल एक बार ही किया जाए रिक्तियों में होने वाले ऐसे अन्तर को जो रिक्तियों के अवधारणा के पश्चात् एवं विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के पूर्व प्राप्त होती है, उसकी गणना विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बैठक के समय की जायेगी।''

प्रस्तुत प्रकरण में रिक्तियों को वर्षवार निर्धारित किए जाने के संबंध में दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन आदेश में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि उक्त पदोन्नति किस वित्तीय वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध की गई है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 19.12.2021 में भी यह अंकित नहीं है कि वरिष्ठता सूची किस वर्ष के संबंध में है। विभाग द्वारा पदोन्नति हेतु संबंधित वर्षवार रिक्तियों का निर्धारण किया जाना प्रथम आवश्यकता है।

लिहाजा उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2022 (अनुलग्नक–1) अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियानुसार वर्षवार वरिष्ठता सूची जारी की जावे एवं वर्षवार रिक्तियों का निर्धारण किया जाकर विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही 3 माह में सम्पादित की जावे।

आदेश आज दिनांक 19.06.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य